

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]	नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27—अगस्त 2, 2019 (श्रावण 5, 1941)=
No. 30]	NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27—AUGUST 2, 2019 (SRAVANA 5, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4=

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 19 जून 2019

बैविवि.आइबीडी.सं.10585/23.03.005/2018-19—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये :—

“बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड”

लिलि वडेरा
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 24 जून 2019

बैविवि.आइबीडी.सं.10667/23.13.085/2018-19—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जाये :—

“नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक”

लिलि वडेरा
कार्यपालक निदेशक

बैविवि.आईबीडी.सं.10668/23.13.085/2018-19—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत अब बैंकिंग कंपनी नहीं है।

लिलि वडेरा
कार्यपालक निदेशक

बैविवि.आईबीडी.सं.10678/23.03.031/2018-19—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :—

“दी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पी एल सी” शब्दों के स्थान पर “नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी” शब्द होंगे।

लिलि वडेरा
कार्यपालक निदेशक

बैंकिंग विनियमन विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 16 जुलाई 2019

बैविवि.एनबीडी.सं.499/16.02.011/2019-20—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल करने का निर्देश देता है :—

जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड
द फेयरवे बिजनेस पार्क,
#10/1, 11/2 और 12/2बी, डोम्लुर के पास,
कोरमंगला इनर रिंग रोड,
ईजीएल बिजनेस पार्क के सामने, चल्लाघट्टा,
बंगलूरु - 560071
कर्नाटक

लिलि वडेरा
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

ए-28/11/2/कोन/भत्ता/2008-स्था-6—अधिसूचना, दिनांक 05.03.2011 के अनुक्रम में, दिनांक 18.09.2018 को आयोजित निगम की अपनी बैठक द्वारा किए गए निर्णयानुसार क.रा.बी. निगम यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और परिवहन भत्ता विनियमावली, 2006 में संशोधन निम्नानुसार समाविष्ट किए गए हैं :—

क.रा.बी. निगम यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा परिवहन भत्ता विनियमावली, 2006

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खंड (xxi) तथा इस धारा की उप धारा (2-क) के साथ पठित उप धारा (1) तथा धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क.रा.बी. निगम ने यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा परिवहन भत्ता विनियमावली, 2006 बनाई थी तथा दिनांक 01.10.2007 से लागू हुई :—

क.रा.बी. निगम यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा परिवहन भत्ता विनियमावली, 2006

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ—(1) ये विनियम “कर्मचारी राज्य बीमा निगम के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा परिवहन भत्ता विनियमावली 2006” कही जाएं।

2. परिभाषाएं— विनियमावली में, जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित नहीं है -

(क) “अधिनियम” से कर्मचारी राज्या बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) “निगम” से अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अभिप्रेत है;

(घ) “महानिदेशक” से निगम का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) “कर्मचारी” से निगम के स्टाफ के संवर्ग में नियुक्त अथवा शामिल व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) “माह” से कैलेंडर माह अभिप्रेत है;

(छ) “सेवा” से निगम के अंतर्गत सेवा अभिप्रेत है;

(ज) “स्थायी समिति” से निगम की स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(झ) इसके बाद प्रयुक्ता किंतु इसमें अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों तथा पदों के वे ही अर्थ होंगे जो केंद्र सरकार के सेवकों की तदनुसूची श्रेणियों पर लागू संगत नियमों में उन्हें दिए गए हैं।

3. दौरे और स्थानांतरण के दौरान दैनिक भत्ता, दौरे के दौरान यात्रा के लिए वाहन की पात्रता के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण संबंधित कार्मिक द्वारा धारित वास्तविक पद के वेतनमान द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अधिकारियों तथा स्टाफ का वेतनमान समय-समय पर स्थाई समिति/क.रा.बी. निगम द्वारा जैसा निर्णय किया जाए, के अनुसार होगा।

4. (क) वास व्यय की प्रतिपूर्ति :—

(i) दौरे के दौरान होटल कमरों के लिए वास व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगी :—

क्र.सं.	पदनाम/स्थिति	वास्तविक आधार पर प्रतिदिन दौरे पर स्वीकार्य आवास प्रभार की प्रतिपूर्ति (रुपये में)
1.	महानिदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी	14,000/-
2.	वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी	11,000/-
3.	बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त	9,800/-
4.	मुख्य अभियंता/अपर आयुक्त /अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (एसएजी)	7,500/-
5.	बीमांकक/निदेशक/अधीक्षण अभियंता/उप चिकित्सा आयुक्त तथा एनएफएसजी तथा समतुल्य ग्रेड	5,600/-
6.	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (वरिष्ठ) तथा समतुल्य ग्रेड	4,500/-
7.	उप निदेशक (कनिष्ठ)/सहायक निदेशक तथा समतुल्य ग्रेड	3,200/-
8.	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी तथा सहायक तथा समतुल्य ग्रेड	1,950/-
9.	प्रवर श्रेणी लिपिक तथा नीचे और समतुल्य ग्रेड में सभी कार्मिक	975/-

(ii) वास व्यय के लिए दावा, वाउचर द्वारा समर्थित होगा। समर्थित वाउचरों के बिना किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य/केंद्रीय/व्यय/लक्जरी कर आदि यदि अधिकारियों द्वारा अदा किए गए हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दौरे पर परिशोधित कमरे के किराये के अतिरिक्त पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iii) निगम, व्यय को न्यूनतम रखने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर पूरे देश में श्रेणियों पर अधिकारियों के लिए होटल आवास के आरक्षण के लिए एक अथवा अधिक उपयुक्त अभिकरणों के साथ केंद्रीयकृत टाइ-अप व्यवस्था के लिए प्रयास करेगा।

(iv) बाद में यदि किसी भी स्टेशन पर होटल प्रशुल्क में कोई भी बढ़ोतरी हुई, महानिदेशक, क.रा.बी. निगम, व्यक्तिगत मामलों में, निर्धारित आर्थिक सीमा से अधिक व्यय को अनुमति दे सकते हैं।

(ख) क.रा.बी. निगम के अधिकारियों को देय दैनिक भत्ता

वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	दैनिक भत्ता
14 और इससे ऊपर	1,200/- रुपये
12 और 13	1,000/- रुपये
9 से 11	900/- रुपये
6 से 8	800/- रुपये
5 और इससे नीचे	500/- रुपये

(ग) हटाया गया।

(घ) यथा अनुमोदित निम्नलिखित निर्णय अंतर्विष्ट किए जाते हैं :—

(क) विदेश यात्रा के लिए दैनिक भत्ता, विदेश मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित विनियमित किया जाएगा।

(ख) सभी श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जब भी परिशोधित वेतन मैट्रिक्स/संरचना पर देय महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होता है, दौरे पर दैनिक भत्ता स्वतः 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

(ग) चूंकि, होटल आवास दरों में कमरा किराया समय-समय पर परिशोधित होता है, जब भी वृद्धि के लिए परिशोधन आवश्यक होता है, महानिदेशक महोदय, क.रा.बी. निगम के अध्यक्ष के अनुमोदन से परिशोधित दरें लागू करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा तत्पश्चात् इसकी सूचना निगम को दी जाए।

(ड) सड़क द्वारा यात्रा हेतु सड़क मील दूरी भत्ता भारत सरकार के दिनांक 13.07.2017 के अनुदेशों द्वारा प्रतिस्थापित है।

(च) स्थानांतरण पर वैयक्तिक सामान का परिवहन :—

अंतरक्षेत्रीय तथा अंतः क्षेत्रीय स्थानांतरण मामलों अथवा अधिवर्षिता पर अग्र गमन में परिवहन व्यय में कर्मचारी के वैयक्तिक सामान के साथ परिवहन की वास्तविक लागत एवं वाहन शामिल होगी और पैकिंग, बीमा, लदाई तथा उतराई व्यय और पारगमन के दौरान उस सामान तथा वाहन पर लागू सांविधिक व्यय भी शामिल है। जनहित में आदेशित अंतरक्षेत्रीय स्थानांतरण के मामले में, अधिकारी अपने विवेक के अनुसार अपना व्यक्तिगत सामान/वाहन निगम द्वारा प्राधिकृत मूवर्स/पैकर्स अथवा रेल परिवहन द्वारा ले जा सकता है।

स्थानांतरित अथवा अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारी के वैयक्तिक सामान ले जाने के लिए मूवर्स तथा पैकर्स की नियुक्ति कार्यालय द्वारा सामान्य वित्त नियम (जीएफआर) के अंतर्गत सामान्य क्रय प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। प्राधिकृत मूवर्स एंड पैकर्स की नियुक्ति क्षेत्रीय आधार पर की जाएगी तथा वे सामान की पैकिंग, चढ़ाई, मूविंग, उतराई तथा उसकी गंतव्य पर सुपुर्दगी के जिम्मेदार होंगे। वे निगम के संबंधित कार्यालय को प्रदत्त सेवा के लिए बिल प्रस्तुत करेंगे।

वजन आदि की सीमा समय-समय पर यथा संशोधित अनुपूरक नियमावली (एसआर) के उपबंधों के अनुसार शासित होना जारी रहेगी।

5. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता से संबंधित अन्य सभी मामले, जो विशिष्ट रूप से यहां ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए; निगम द्वारा पृथक विनियम लागू करने तक भारत सरकार के नियमों तथा आदेशों से शासित होना जारी रहेंगे।

6. यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध की विवेचना में कोई भी संदेह उत्पन्न होता है, मामला महानिदेशक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा महानिदेशक अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी, जैसा भी विनिर्दिष्ट किया जाए, को रेफर किया जाएगा तथा महानिदेशक के निर्णय अंतिम होंगे।

ये संशोधित विनियम दिनांक 05.10.2018 से लागू होंगे।

एस. रविचंद्रन
अपर आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 19th June 2019

DBR.IBD.No.10585/23.03.005/2018-19—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following:

“Bank of China Limited”

LILY VADERA
Executive Director

The 24th June 2019

DBR.IBD.No 10667/23.13.085/2018-19—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following:—

“National Australia Bank”

LILY VADERA
Executive Director

DBR.IBD.No.10668/23.13.085/2018-19—In pursuance of sub-section (2) of Section 36 (A) of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the National Australia Bank has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act.

LILY VADERA
Executive Director

DBR.IBD.No.10678/23.03.031/2018 -19—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely:—

For the words “The Royal Bank of Scotland plc” the words “NatWest Markets Plc” shall be substituted.

LILY VADERA
Executive Director

DEPARTMENT OF BANKING REGULATION

Mumbai-400001, the 16th July 2019

DBR.NBD.No.499/16.02.011/2019-20—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

Jana Small Finance Bank Limited
The Fairway Business Park,
10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur,
Koramangala Inner Ring Road,
Next to EGL Busines Park, Challaghatta,
Bengaluru-560071
Karnataka

LILY VADERA
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 5th October 2018

A-28/11/2/Con/Allow/2008 E-VI—In continuation of Notification dated 05.03.2011, Amendment in ESIC TA/DA and Transport Allowance Regulations, 2006 has been incorporated as below as per decision taken by the Corporation in its meeting held on 18.09.2018.

TA DA AND TRANSPORT ALLOWANCE REGULATIONS OF ESI CORPORATION, 2006

In exercise of the Powers conferred by Sub-section (1) of Section 97 read with clause (xxi) of Sub- Section (2) and sub section (2-A) of the section and sub section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance has made the TA/DA and Transport Allowance Regulations, 2006 and come into force w.e.f. 01.10.2007:—

T.A, D.A. AND TRANSPORT ALLOWANCE REGULATIONS, 2006 OF ESIC

1. Short Title and Commencement- (1) these regulations may be called “ T.A, D.A. And Transport Regulations, 2006 of the Employees' State Insurance Corporation.”

2. DEFINITIONS- In the regulations, unless the context otherwise requires:—

- (a) “Act” means the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948);
- (b) “Commission” means the Union Public Service Commission;
- (c) “Corporation” means the Employees' State Insurance corporation established under the Act;
- (d) “Director General” means the Director General of the Corporation;
- (e) “ Employees” means a person appointed to or born on the cadre of the staff of the Corporation;
- (f) “Month” means a calendar month;
- (g) “Service” means a service under the Corporation;
- (h) “Standing Committee” means the Standing Committee of Corporation;
- (i) All the other words and expressions used hereinafter but defined herein shall have the meaning assigned to them the relevant rules applicable to the corresponding classes of Central Government Servants.

3. For the purposes of daily allowance while on tour, transfer and eligibility of conveyance for journey while on tour, the classification will be decided by the scale of pay of the post actually being held by the official concerned. The scales of pay of officers and staff shall be as may decide by the Standing Committee/ESIC from time to time.

4. A. REIMBURSEMENT OF LODGING CHARGES:—

The reimbursement of lodging charges for hotel rooms while on tour shall be as follow:—

(i)

Sl. No.	Designation/Status	Lodging Charges Admissible on tour per day on actual basis
1	Director General, Chief Executive Officer	14000/-
2	Financial Commissioner/ Chief Vigilance Officer	11000/-
3	IC/MC	9800/-
4	CE/AC/Other SAG Officers	7500/-
5	Actuary /Director/SE/DMC and other NFSG and Equivalent Grades	5600/-
6	Jt. Director/Dy. Directors (Senior) and Equivalent Grades	4500/-
7	Dy. Director (Junior)/ Assistant Director and Equivalent Grades	3200/-
8	Social Security Officers and Assistant and Equivalent grades	1950/-
9	All officials in UDC and below and Equivalent grades	975/-

(ii) Claims for lodging charges shall be supported by the vouchers. No claim will be entertained without supporting vouchers.

State/Central/Expenditure/Luxury Taxes, etc. if paid, by the officers shall be reimbursed in full, in addition to revised room rent on tour, as mentioned above.

(iii) The Corporation shall endeavor to have a centralized tie up arrangement with one or more suitable agency(ies) for reservation of hotel accommodation for officers at levels across the country on competitive rates to keep the expenditure barest minimum.

- (iv) If there were any increase in the hotel tariff at any station subsequently, Director General, ESIC may, in individual cases, permit expenditure more than the prescribed monetary limits.

B. DAILY ALLOWANCE PAYABLE TO THE OFFICERS OF ESI CORPORATION

PAY LEVEL IN PAY MATRIX	DAILY ALLOWANCE
14 and above	Rs.1200/-
12 and 13	Rs.1000/-
9 to 11	Rs. 900/-
6 to 8	Rs. 800/-
5 and below	Rs. 500/-

C Omitted.

D Following decisions are incorporated as approved:

- (a) DA rates for foreign travel will be regulated as prescribed by Ministry of External Affairs.
- (b) For all categories of officer/ employees, dearness allowance on tour shall automatically increased by 25% whenever DA payable on the revised pay matrix / structure goes up by 50%.
- (c) Since, the room rent of hotel accommodation rates get revised from time to time, whenever an upward revision is required, Director General is authorized to implement the revised rates with the approval of Chairman of ESIC and the same may be reported to the corporation subsequently.

E The road mileage allowance for journey by road is replaced by Government of India instructions dated 13.07.2017.

F Transportation of personal effects on transfer: —

The transportation expenses in inter and intra-regional transfer cases or in proceeding on superannuation, shall include actual cost of transporting the employees with personal luggage and conveyance and shall also include charges for packing, insurance, loading and unloading as well as statutory levies imposed on such luggage and conveyance during transit. In case of inter-regional transfer ordered in public interest; the officers may at their discretion transport their personal goods/ vehicle by the movers/packers authorized by the Corporation or by rail transport.

The Movers and Packers for transporting personal effects, of the official transferred or superannuation, shall be appointed by the office after following the normal purchase procedure under GFR. The authorized Movers and Packers shall be appointed on regional basis and shall be responsible for packing, loading, moving, unloading and delivering the goods at the destination. They shall raise the bill for the service rendered to the respective office of the corporation.

The restrictions of weights etc. will continue to be governed as per provisions of SR, as amended from time to time.

5 All other matter relating to the TA/DA, not specifically mentioned here in above; shall continue to be governed by the Govt. of India Rules and Orders till such time as separate regulations are brought into effect by the Corporation.

6 If any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these Regulations, the matter shall be referred to the Director General or such other authority as may be specified by the Director General by a general or special order and the orders of the Director General shall be final.

These amended regulations shall come into force w.e.f. 05.10.2018.

S. RAVICHANDRAN
Addl. Commissioner